न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/2020 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
दायर दिनांक 22.06.2020
निर्णय दिनांक 13.08.2020

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

श्री विष्णु भाटिया पुत्र स्व. जगदीश चंद्र भाटिया (मालिक/विक्रेता)
मैसर्स श्री विष्णु ट्रेड़र्स, पुराना बस स्टेण्ड, कांकरोली जिला राजसमन्द
पत्राचार पता महादेव कॉलोनी, जल चक्की, कांकरोली जिला राजसमंद।

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन/ 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री विष्णु भाटिया पुत्र स्व. जगदीश चंद्र भाटिया (मालिक/विक्रेता) मैसर्स श्री विष्णु ट्रेड़र्स, पुराना बस स्टेण्ड, कांकरोली जिला राजसमन्द जो खाद्य पदार्थ पान मसाला (दिलबाग प्लस) आदि बेचने का कार्य करता है। इनकी दूकान मैसर्स श्री विष्णु ट्रेड़र्स, पुराना बस स्टेण्ड, कांकरोली जिला राजसमन्द पर दिनांक 18.10.2019 को समय 03.50 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर के पास पान मसाला (दिलबाग प्लस) के करीब 161.7ग्राम के कुल 33 पॉली पैक्ड़ रखे थे। इसमें मिलावट का शक होने पर 161.7 ग्राम

के 12 पॉली पैक्ड खाद्य पदार्थ पान मसाला (दिलबाग प्लस) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 1020/— रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ पान मसाला (दिलबाग प्लस)के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा पान मसाला (दिलबाग प्लस) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग—2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई — 938 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2019/3725 दिनांक 28.11. 2019 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस / 542/एक्ट/2019/576 दिनांक 31.10.2019 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना पान मसाला (दिलबाग प्लस)) मिसब्राण्डेड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,राजसमन्द ने दिनांक 17.06.2020 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क—4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क—4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Cld

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। विपक्षी को सुना गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया कि उसके यहा से जो पान मसाले (दिलबाग प्लस) का सेम्पल लिया गया उक्त पान मसाला उसकी फर्म द्वारा निर्मित नही किया जाता है और न ही कच्चा माल व पेंकिंग उसकी फर्म द्वारा की जाती है। अतः उसने कोई मिलावट नहीं की तथा वह निर्दोष है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का पान मसाले (दिलबाग प्लस) मिसब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 26 (II) के अन्तर्गत उक्त केस में पान मसाले (दिलबाग प्लस) मिसब्राण्ड को विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 27 (II) (द) का उल्लघंन कर उक्त अधिनियम की धारा 58 में विपक्षी श्री विष्णु भाटिया पुत्र स्व. जगदीश चंद्र भाटिया (मालिक/विक्रेता) मैसर्स श्री विष्णु ट्रेड़र्स, पुराना बस स्टेण्ड, कांकरोली जिला राजसमन्द को राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे रूपया पन्द्रह हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो को कय करने के साथ मूल बिल लेना सुनिश्चित करे। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ☆ राजसमन्द ☆

(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द